न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –158 / 2019
अनवान : –

1. पीरूराम पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील भादरा।
– **वादी**

ब ना म

1. कृष्णकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील भादरा।
2. राकेश कुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील भादरा।
3. सरोज देवी पुत्री कृष्णकुमार जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील भादरा।
4. ओबीसी बैंक निनाण जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री धर्मपाल बेरवाल **वादी**
श्री राजेश बैनीवाल वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 26/02/2020

वादी के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही चक 1 बीबीएम के खाता सं0 11 के मु0 न0 46 के किला न0 6 ता 16, 18, 19 व 25, मु0 न0 47 के किला न0 10, 11, 20, 21 कुल 4.5540है0 खातदेरी भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम 1 / 12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। व चक 2 बीबीएम के खाता सं0 13 / 133 के मु0 न0 36 के किला न0 12, 19, 22 कुल 0.734है0 नहरी 0.708है0, गै0 मु0 रास्ता 0.026है0 कृषि भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम दर्ज हैं। चक 13 एएमएस के खाता सं0 17 / 108 मु0 न0 4 के किला न0 19, 22, मु0 न0 28 के किला न0 7, 14, 17, 23 व 24 कुल 1.771है0 नहरी 1.746है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0 कृषि भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम खातेदारी दर्ज है। वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का जन्म से हक व अधिकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा सोहन लाल की खातेदारी हुआ करती थी।सोहन लाल के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम विरासतन प्राप्त हुई है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी कृष्णकुमार कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी कृष्णकुमार अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित हेाकर अपना राजीनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी सं0 4 को वकिल वादी ने तर्क अंकित किया व प्रतिवादी सं0 5 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारणं साक्ष्यवादी में वादी पीरूराम पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी चक 1 बीबीएम प्रदर्श 1, जमाबंदी खतौनी 2 बीबीएम प्रदर्श 2, सत्य प्रति जमाबंदी 13 एएमएस प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत साहूवाला प्रदर्श 4, सत्यप्रति जमाबंदी चक 2 बीबीएम प्रदर्श 5, सत्यप्रति जमाबंदी चक 1 बीबीएम प्रदर्श 6 व सत्यप्रति जमाबंदी चक 13 एएमएस प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही चक 1 बीबीएम के खाता सं0 11 के मु0 न0 46 के किला न0 6 ता 16, 18, 19 व 25, मु0 न0 47 के किला न0 10, 11, 20, 21 कुल 4.5540है0 खातदेारी भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। व चक 2 बीबीएम के खाता सं0 13/133 के मु0 न0 36 के किला न0 12, 19, 22 कुल 0.734है0 नहरी 0.708है0, गै0 मु0 रास्ता 0.026है0 कृषि भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम दर्ज हैं। चक 13 एएमएस के खाता सं0 17/108 मु0 न0 4 के किला न0 19, 22, मु0 न0 28 के किला न0 7, 14, 17, 23 व 24 कुल 1.771है0 नहरी 1.746है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0 कृषि भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के दर्ज करवाने बाबत राजीनामा पेश किया है वादी ने अपने दावा को दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है इसलिए दावा वादी डिकी किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही चक 1 बीबीएम के खाता सं0 11 के मु0 न0 46 के किला न0 6 ता 16, 18, 19 व 25, मु0 न0 47 के किला न0 10, 11, 20, 21 कुल 4.5540है0 खातदेारी भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। व चक 2 बीबीएम के खाता सं0 13/133 के मु0 न0 36 के किला न0 12, 19, 22 कुल 0.734है0 नहरी 0.708है0, गै0 मु0 रास्ता 0.026है0 कृषि भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम दर्ज हैं। चक 13 एएमएस के खाता सं0 17/108 मु0 न0 4 के किला न0 19, 22, मु0 न0 28 के किला न0 7, 14, 17, 23 व 24 कुल 1.771है0 नहरी 1.746है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0 कृषि भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से खातेदारी दर्ज में से वादी पीरूराम व प्रतिवादी सं0 1 कृष्णकुमार, प्रतिवादी सं0 2 राकेश कुमार के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष मे त्याग किया है , इसलिये हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि यदि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

रहन हो तो रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 कृष्णकुमार व प्रतिवादी सं0 2 राकेश कुमार बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा (राज0)

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —158 / 2019

अनवान:—

1. पीरूराम पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. कृष्णकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील भादरा।
2. राकेश कुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील भादरा।
3. सरोज देवी पुत्री कृष्णकुमार जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील भादरा।
4. ओबीसी बैंक निनाण जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण राजेश बैनीवाल की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही है कि कि रोही चक 1 बीबीएम के खाता सं0 11 के मु0 न0 46 के किला न0 6 ता 16, 18, 19 व 25, मु0 न0 47 के किला न0 10, 11, 20, 21 कुल 4.5540है0 खातदेरी भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम 1 / 12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। व चक 2 बीबीएम के खाता सं0 13 / 133 के मु0 न0 36 के किला न0 12, 19, 22 कुल 0.734है0 नहरी 0.708है0, गै0 मु0 रास्ता 0.026है0, चक 13 एएमएस के खाता सं0 17 / 108 मु0 न0 4 के किला न0 19, 22, मु0 न0 28 के किला न0 7, 14, 17, 23 व 24 कुल 1.771है0 नहरी 1.746है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, कृषि भूमि प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से खातेदारी दर्ज में से वादी पीरूराम व प्रतिवादी सं0 1 कृष्णकुमार, प्रतिवादी सं0 2 राकेश कुमार के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष मे त्याग किया है , इसलिये हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि यदि रहन हो तो रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 कृष्णकुमार व प्रतिवादी सं0 2 राकेश कुमार बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 17:46:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: